**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2954**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**जम्मू और कश्मीर में अर्ध सैन्य बलों में होने वाली मौतें**

**2954. श्री शमशेर सिंह मन्हासः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) वर्ष 2018 में जम्मू और कश्मीर राज्य के अर्ध सैन्य बलों में कुल कितनी मौत हुईं;**

**(ख) उनके परिवारों को क्या-क्या लाभ प्रदान किए गए, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(ग) इन परिवारों में से कितने लोगों को जम्मू और कश्मीर राज्य या केन्द्रीय सरकार में सरकारी नौकरी मिली, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क): जम्मू और कश्मीर राज्य में वर्ष 2018 (फरवरी तक) के दौरान 1 सीआरपीएफ कर्मी ने आतंकवाद संबंधी घटना में तथा 4 बीएसएफ कर्मियों ने सीमा-पार गोलीबारी की घटनाओं में अपनी जान गंवाई।

(ख): केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक शहीद के परिवार को 35 लाख रूपए का अनुग्रह मुआवजा दिया जाता है। अनुग्रह मुआवजे के अलावा, शहीद के निकटतम संबंधी (एनओके) को सीएपीएफ की मौजूदा प्रणाली के अनुसार अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है। शहीद का निकटतम संबंधी केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के तहत उदारीकृत पारिवारिक पेंशन (अथर्त आहरित अंतिम वेतन) और यथा स्वीकार्य पेंशन लाभ भी प्राप्त करने का पात्र है। समूह ‘क’ तथा ‘घ’ में 5 प्रतिशत रिक्तियां शहीदों के निकटतम संबंधियों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आरक्षित हैं।

(ग): रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 (फरवरी तक) के दौरान किसी भी शहीद के निकटतम संबंधी (एनओके) के पक्ष में अनुकम्पा के आधार पर कोई भी नियुक्ति नहीं की गई है।

\*\*\*\*\*\*